भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1979

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

हर घर को बिजली उपलब्ध कराने की योजनाएं

1979. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और नियमित विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार लाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा ग्रिड का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के नाते, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में सुधार और ग्रिड सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी की होती है।

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता दी है, ताकि उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक देश के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। ये दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी पहचाने गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी घरों को स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है। अब तक, 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521 करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.68 लाख घरों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(**ग**) **और** (**घ**) : भारत सरकार ने अलग-अलग स्कीमों जैसे (क) डीडीयूजीजेवाई**,** जिसके अंतर्गत सभी गांवों में विद्युत पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की**; (**ख) आईपीडीएस**,** जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण को विद्युत वितरण की एक प्रमुख पहल के रूप में अपनाया और (ग) सौभाग्य**,** जिसके तहत घरों का विद्युतीकरण किया गया**,** को धन के आवंटन के माध्यम से वितरण यूटिलिटी द्वारा वितरण अवसंरचना के उन्नयन और निर्माण की सुविधा प्रदान की है। देश की वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर इन तीनों स्कीमों के अंतर्गत कुल मिलाकर 1.85 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

आरडीएसएस के अंतर्गत**,** इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। यह स्कीम नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और प्रणाली स्वचालन सहित वितरण नेटवर्क के उन्नयन में परिणामोन्मुखी निवेश के माध्यम से वितरण क्षेत्र में तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में सुधार पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत कार्यों में नए/उन्नयतीकृत सबस्टेशन/वितरण ट्रांसफार्मर**,** कृषि फीडर पृथक्करण**,** कंडक्टरों का उन्नयन**,** घरेलू विद्युतीकरण कार्य आदि शामिल हैं।

****